Affiliated to BCCI
bca@biharcricketassociation.com

COM की आकस्मिक बैठक

दिनाक : 30 दिसंबर 2022: 30-12-2022
स्थान : होटल गोल्डन सनराइज, पाटलीपुत्रा कॉलोनी,पटना
समय :दिन के दो बजे की बैठक विवाद के कारण स्थगित की गई और इसे पुन: 6 PM से प्रारम्भ किया गया।
उपस्थिति : रजिस्टर के अनुसार

अध्यक्षता

माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने कमेटी ऑफ मनेजमेंट के आकस्मिक बैठक की अध्यक्षता की।

कोरम

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक के लिए अपेक्षित सदस्यगण (कोरम) इस बैठक में उपस्थित है, बैठक को प्रारम्भ करने से पूर्व, माननीय प्रधानमंत्री की माता के निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। मौन श्रद्धांजली अर्पित करने के बाद बैठक की कारवाई प्रारम्भ हुई। बैठक के सभापति ने इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बीसीए के कमिटी ऑफ मैनेजमेंट के लिए नामित पुरुष और महिला प्रतिनिधि के रूप मे क्रमशः विकास कुमार और लवली राज की नियुक्ति का स्वागत किया।

एजेंडा संख्या एक:
गत बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा एवं संपुष्टि।
निर्णय: गत बैठक की प्रोसीडिंग को पढ़कर सुना-सुनाया गया। विंदुवार निर्णयों की समीक्षा और विचारोपरांत बहुमत से संपुष्टि की गई। इस संबंध में अरवल जिला के कार्य कलापों के बारे में विशेष उल्लेख में चर्चा के बाद यह निर्णय हुआ कि अरवल जिला क्रिकेट संघ के कार्य कलापों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया जाय जिससे वहाँ शीघ्र चुनाव करा कर लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहाल हो सके एवं इस कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

एजेंडा संख्या दो:
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की समितियों और उप समितियों की समीक्षा।
निर्णय: इस संदर्भ में पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णय के आलोक में शेष बचे समितियो और उप समितियो के अविलंब गठन / पुनर्गठन एवं प्रकाशन एवं मुख्य प्रवक्ता एवं प्रवक्ताओं के नियुक्तियों हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत करने का निर्णय किया गया।

एजेंडा संख्या तीन:
बिहार क्रिकेट एसोसिएशिसन से संबन्धित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा।
निर्णय: एजेंडा को स्वीकार करते हुए आसन ने बीसीए के सी ई ओ को निर्देश दिया कि बीसीए से सबन्धित लबित मामलों से बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया जाय।

इस विंदु पर बैठक में शामिल बीसीए के सी ई ओ ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय लोकपाल महोदय के यहाँ चल रहे मामलों की सूची अधतन स्थिति के साथ कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के समक्ष रखा और यह बताया कि न्यायालयों में बीसीए की तरफ से अलग - अलग पक्ष /रुख रखने की वजह से बीसीए के नियुक्त अधिवक्ता की स्थिति असहज और मामले की गंभीरता विरोधाभासी हो जाती है, इस पर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को गंभीरता पूर्वक विचार कर अविलंब निर्देश पारित करना चाहिए, जिससे न्यायालय में बी सी ए की छवि भी प्रभावित न होने पाये।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने न्यायालयों मे उत्पन्न हो रही इस प्रकार की स्थिति पर गहरी चिता व्यक्त की, जबकि इस मामले पर बैठक में शामिल उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह ने सभी सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि

1. बीसीए के मानद सचिव श्री अमित कुमार का निर्वाचन 25 सितंबर 2022 को सम्पन्न हुए चुनाव में [illegible] हुआ। जिसके परिणाम की घोषणा 3 अक्टूबर 2022 को माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश के बाद की [illegible] श्री कुमार ने चार अक्टूबर 2022 को सम्पन्न हुए बीसीए के वर्चुअल कॉम (COM) की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। श्री अमित कुमार 25 सितंबर 2022 की आम सभा में भी शामिल रहे हैं, और बीसीए के द्वारा माननीय सर्वोच्य न्यायालय में दायर आई ए संख्या: 132771 एवं 132773 वर्ष 2022 की न तो कोई चर्चा की और नहीं बीसीए के द्वारा दाखिल आई ए में उल्लेखित विंदुओं से अलग कोई अन्य रुख रखने की बात की, और नहीं इन बैठको में उन्होने बीसीए के प्रतिनिधि के रूप में या निजी रूप से माननीय सर्वोच्य न्यायालय में संविधान संसोधन पर दाखिल आई ए संख्या: 132771 एवं 132773 वर्ष 2022 से अलग कोई आई ए दाखिल करने या बीसीए के पूर्व के रुख से इतर अपना पक्ष रखने की अनुमति ली और नहीं तो इन बैठको के बाद अपने द्वारा दाखिल किए जाने वाले आई ए संख्या: 165077 एवं 165081 वर्ष 2022 के संदर्भ में बीसीए के कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों को संज्ञान में हीं दिया। इतना हीं नहीं श्री कुमार ने बीसीए के नियुक्त अधिवक्ता से इतर अपनी स्वेक्षा से नया अधिवक्ता नियुक्त करते हुए, उक्त आई ए संख्या: 165077 एवं 165081 वर्ष 2022 दाखिल किया।

2. श्री कुमार को यह बताना चाहिए कि बीसीए के रुख से इतर और बीसीए के हित के विरुद्ध प्रतिवाद दाखिल करना और अपने निजी रुख / पक्ष को रखने के लिए महंगे महंगे अधिवक्ताओं के भुगतान की राशि कहाँ से प्राप्त हुई, इसकी जानकारी देनी चाहिए।

श्री दिलीप सिंह ने दिनांक 14 सितंबर 2022 को माननीय सर्वोच्य न्यायालय में सिविल अपील 4235/2014 मे बीसीसीआई के संविधान संशोधन की अनुमति के लिए दाखिल आई ए पिटीशन पर पारित आदेश की जानकारी बैठक में उपस्थित सदस्यों को दी, और यह स्पष्ट किया कि, चूंकि इस मामले में आवेदनकर्ता/पक्ष बीसीसीआई है, और इस संशोधन की अनुमति के बाद बीसीसीआई के संविधान में न्यायालय द्वारा अनुमति प्राप्त संशोधनों की प्रविष्टि तथा उसके बाद तमिलनाडु राज्य के निबंधन विभाग से बीसीसीआई के संसोधित संविधान के रजिस्ट्रेशन के बाद अन्य राज्य संघों में माननीय सर्वोच्य न्यायालय के इसी संदर्भ में दिनांक 9 अगस्त 2018 को पारित, पूर्व आदेश के अनुसार और बीसीसीआई के संविधान के तदनुरूप किसी तरह की संशोधन अथवा अनुपालन मान्य हो सकेगा। श्री दिलीप सिंह ने आसन से अनुरोध किया कि इस मामले कि विस्तृत विवेचना के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के विधि परामर्शी श्री राजू गिरि से परामर्श आमंत्रित किया ।जाय।

निर्णय: बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से निर्णय किया कि न्यायालय से संबन्धित सचिव के रूप में संविधान मे प्रदत्त अधिकारों से श्री अमित कुमार को वंचित करते हुए तत्काल प्रभाव से संयुक्त सचिव प्रिया कुमारी को यह अधिकार संविधान की सुसंगत धाराओं के अनुपालन में औपबंधिक रूप से दिया जाता है, जिससे न्यायालय मे बीसीए के पक्ष को अधिवक्ताओं के द्वारा रखने में कोई कठिनाई नहीं हो। साथ हीं इस संदर्भ मे **दिनांक 25 सितंबर 2022 के वार्षिक बैठक में लिए गए निर्णय जिससे संविधान सशोधन हेतु गठित त्रि सदस्यीय कमेटी और इस संबंध में वेवसाइट पर प्रदर्शित सूचना के अनुपालन को भी सुनिश्चित** करने का निर्णय लिया गया।

एजेंडा संख्या चार:
बीसीसीआई के द्वारा बीसीए के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक श्री देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव बीसीसीआई के साथ पटना में हुई बैठक की समीक्षा।

निर्णय: आसन की सहमति से उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को श्री सैकिया व अन्य सहयोगियों के पटना आगमन की जानकारी से अवगत कराते हुए बताया कि श्री सैकिया के समक्ष बीसीए के विरोध में कुछ व्यक्तियों तथा समूह ने अनर्गल आरोप पत्र समर्पित किए थे, और पर्यवेक्षक महोदय के द्वारा उन आरोपों के विरुद्ध मांगे गए बीसीए के पक्ष को मजबूतीपूर्वक तुरंत समर्पित कर दिया गया, तथा कोष की कमी से उत्पन्न बीसीए की स्थिति से भी उन्हे अवगत कराया गया। श्री दिलीप सिंह जी ने बताया कि श्री सैकिया और उनके सहयोगियों के पटना प्रवास के दौरान वह स्वय, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सी ई ओ तथा अन्य महा-प्रबन्धको के साथ उपस्थित रहे और बीसीए का पक्ष रखा। लेकिन यह आश्चर्यजनक था कि बीसीए के मानद सचिव श्री अमित कुमार पर्यवेक्षक के आने की जानकारी होने के वावजूद, बीसीए के पक्ष के प्रस्तुतीकरण की तैयारी में अनुपस्थित रहे, तथा अचानक पर्यवेक्षक के समक्ष बीसीए के द्वारा पूर्व में निलंबित और विरोधी तत्वों के साथ पर्यवेक्षक से मिलकर बीसीए के आधिकारिक रुख से अलग अपना निजी पक्ष रखा।

बैठक में उपस्थित सदस्यों में कोशाध्यक्ष श्री आशुतोष नन्दन सिंह और संयुक्त सचिव श्रीमती प्रिया कुमारी ने उपाध्यक्ष महोदय के बातों का समर्थन करते हुए, मानद सचिव के उस दिन के क्रिया कलापों पर चिंता व्यक्त की। इसके बाद और बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से सचिव के क्रिया कलापों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हे बीसीए का आधिकारिक प्रतिनिधित्व, किसी भी फोरम, प्राधिकार अथवा शासन / प्रशासन के समक्ष रखने के संविधान में प्रदत्त अधिकार अथवा जिम्मेवारी से वंचित करने का निर्णय लिया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से यह भी निर्णय किया की बीसीए के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे सभी अधिकार सचिव के जगह संयुक्त सचिव में अगले निर्णय तक निहित रहेंगे।

एजेंडा संख्या पाँच:

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मेजबानी में चल रहे बोर्ड मैच (2022-23) के आयोजन की समीक्षा।

निर्णय: आसन के आदेश से जी एम क्रिकेट आपरेशन श्री सुनील कुमार सिंह ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मेजबानी में अभी तक सम्पन्न बोर्ड के मैचों की अधतन जानकारी बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की और बताया कि पटना स्थित मोइनूल हक स्टेडियम में कूच विहार के एक मैच और ऊर्जा स्टेडियम स्टेडियम में एक कूच विहार और एक रणजी ट्रॉफी के मैच सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए है, तथा एक जनवरी से चार जनवरी तक होने वाले सी के नायडू मैच की मोइनूल हक स्टेडियम में तैयारी पूरी कर ली गई है और तीन से सात जनवरी तक ऊर्जा स्टेडियम में रणजी मैच की तैयारी की जा रही है। श्री सुनील कुमार सिंह ने इस मामले में यह बताया कि माननीय अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावे बीसीए के सी ई ओ तथा महा प्रबन्धकों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों का निरंतर निर्देश और सहयोग प्राप्त हो रहा है।

इस विषय पर बैठक में उपस्थित कोषाध्यक्ष श्री आशुतोष नन्दन सिंह ने बताया कि अध्यक्ष महोदय [illegible] से जानकारी होने के वावजूद मानद सचिव श्री अमित कुमार बोर्ड मैचों के आयोजन की तैयारी के प्रति कभी रुचि नहीं दिखाई, और इस तरह से सचिव के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति विमुख रहे हैं।

एजेंडा संख्या छह:

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वित्तीय स्थिति की समीक्षा।

निर्णय: वित्तीय मामलों पर कोशाध्यक्ष महोदय ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें नई कमेटी के गठन के बाद के सभी खर्चे और आगामी औपबंधिक बजट व वर्तमान स्थिति को विस्तार से उल्लेखित किया गया है। इस मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद इसे स्वीकृत करते हुये पारित करने का निर्णय किया गया। आगामी खरीददारी के लिए एक क्रय समिति (पचास हज़ार रुपए से अधिक के खर्चे) के गठन का भी निर्णय किया गया, जिसके लिए कोशाध्यक्ष को संयोजक के रूप मे रखते हुये अध्यक्ष,उपाध्यक्ष और कोशाध्यक्ष को त्रि सदस्यीय समिति के गठन के लिए अधिकृत किया गया । साथ हीं पचास हज़ार तक की खरीद हेतु कोशाध्यक्ष और / अथवा संयुक्त सचिव को एकल अथवा संयुक्त रूप से अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया।

एजेंडा संख्या सात:

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में कार्यरत कर्मचारियों की कार्य स्थल पर उपस्थिति और वेतन भुगतान पर चर्चा और निर्णय।

निर्णय: बैठक में उपस्थित कोशाध्यक्ष ने आसन की अनुमति से कर्मचारियों व सपोर्ट स्टाफ तथा अन्य मदों के लंबित भुगतान की जानकारी दी। गहन विचारोपरांत बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से बीसीए के सी ई ओ मनीष राज को निर्देश देते हुए अधिकृत किया कि कार्यरत कर्मचारियों की कार्य स्थल पर उपस्थिति और [illegible]

भुगतान को प्रमाणित करते हुए, प्रपत्र प्रस्तुत करें, जिससे राशि के उपलब्ध होते हीं अविलंब वेतन भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

एजेंडा संख्या आठ:
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के 2022-25 के लिए पदाधिकारियों के निर्वाचन की तिथि (25 सितबर 2022) से लेकर अब तक बीसीए के कार्य संचालन पर समीक्षा।

यह बहुत हीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बीसीए को पूर्णतः विवाद मुक्त करने के लिए, सभी जिला संघों ने 25 सितंबर 2022 को सम्पन्न हुए चुनाव में विवाद रहित और निर्विरोध चुनाव का निर्णय लिया था, जो अततः सफल भी रहा। आपसी सहमतियों एवं सामंजस्य बिठाने के क्रम में श्री अमित कुमार को सर्व सम्मति से सचिव बनाया गया था। सचिव बनने के बाद से आज की तिथि तक इनकी लगभग प्रत्येक गतिविधियां संघ के विरोध में और संघ के लिए अहितकर रही है। चुनाव के समय से लेकर और अभी तक इनके कार्य कलापों ने बीसीए के हितधारकों में भारी क्षोभ एवं पीड़ा पंहुचायी है। जब इन्हे बीसीए के कार्य कलाप के संबंध में सहयोग के लिए बुलाया जाता है, तो इनका कहना होता है कि

" मैं तो संजय सिंह बेगूसराय, पूर्व अध्यक्ष, टूर्नामेंट कमेटी, का खंडाउ रख कर शासन कर रहा हूँ, आपलोगों को जो भी बात करना है, उनसे हीं कीजिये"

चूंकि भले हीं चुनाव से पूर्व सचिव किसी भी गुट से जुड़े रहे हों, मगर चुनाव के बाद, उनका नैतिक कर्तव्य होना है कि अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी व दायित्व का निर्वहन खुद करें, लेकिन ऐसा नहीं कर, अमित कुमार बाहरी लोगो से प्रभावित होते रहे है। और यह भी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, की

" उनके तरफ से सारे लिखा पढ़ी बी सी एल का बर्खास्त कन्वेनर ओम प्रकाश तिवारी करते है और इनके तरफ से लोगों से संघ विरोधी कार्यों के लिए संपर्क भी करते है"

ओम प्रकाश तिवारी संघ विरोधी और अनियमितता के कारण बीसीए/ बीसीएल से पूर्व मे ही निष्काषित किए जा चुके है।

सचिव श्री अमित कुमार ने सी ओ एम के सदस्यों को सूचित किए और अनुमति लिए बगैर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में संस्था से अलग आई ए फाइल करके संस्था को भारी हानि पंहुचायी है।

इसके आलवा सचिव श्री अमित कुमार के द्वारा सेलेक्टरों को अवैध रूप से मेल करने, उनपर दवाब बनाने हेतु उनके और उनके नियोक्ताओं को भी अनावश्यक बोला और लिखा गया। सेलेक्टरों से प्राप्त शिकायत रेकर्ड में उपलब्ध।

यह भी बड़े दुख का विषय है कि दिनांक :25 सितंबर 2022 के AGM मे सर्वसम्मति से तय हुआ था कि क्रिकेटिंग की ज़िम्मेदारी बीसीए के उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी को दिया गया है। विदित है कि श्री दिलीप सिंह जी सी ओ एम के सबसे अधिक योग्य, अनुभवी सदस्य हैं, तथा वरिष्ठ खिलाड़ी भी रहे है, जिसके कारण सबो ने तय किया था कि उन्हे हीं क्रिकेटिंग की ज़िम्मेदारी दी जाय। AGM के निर्णय के बाद भी जिसमें वो खुद भी अपने जिला के प्रतिनिधि के रूप में उपलब्ध थे, भी उन्होने सेलेक्टरों और क्रिकेटिंग इंचार्ज के कार्यक्षेत्र मे हस्तक्षप कर मामले को विवादित किया है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 14 सितंबर 2022 को सिविल अपील संख्या 4235/2014 मे बीसीसीआई के संविधान संशोधन के मामले में दिये गए निर्णय में से कुलिंग पीरियड के मामलों को बीसीए के AGM मे स्वीकार करते हुए, अन्य विंदुओं के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। इसके बाद भी सचिव क्रिकेट के विरोधियों से मिलकर सत्ता पर एकाधिकार के लिए छीना झपटी करने लगे। इनके द्वारा जब भी CEO एवं अन्य अधिकारियों - कर्मचारियों को मेल किया जाता है, तो उक्त मेल में "कानूनी सलाह ली जा रही है" इसमें यह कारवाई कि जाएगी जैसे धमकी और दवाव बनाने वाले शब्दों/वाक्यों का प्रयोग किया जाता है।

चुनाव के समय में इन्होंने होटल पाराडाइज़, पाटलीपुत्रा, पटना में जो कु-कृत्य किया है, उसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती है। इसके बारे में उनको निर्गत कारण पृक्षा नोटिस में लिखा जा चुका है।

इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए बीसीए के समक्ष एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। इस संबंध में इनसे कारण पृक्षा दिनांक: 4 दिसंबर 2022 को पूछी गई, जिसका दिनांक: 5 दिसंबर 2022 को दिये गए जवाब में, किसी का हस्ताक्षर नहीं होने का बहाना दिया गया, और तरह तरह के आरोप लगाए। जिसके आलोक में सी ई ओ, बीसीए के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दिया गया। दुबारा पुन: कारण पृक्षा से सबन्धित मेल भेजने पर श्री अमित कुमार ने बिना सिर पैर का राजनीतिक जवाब दिया, और पूर्व के कार्यकाल के मुद्दे उठाए, जिन पर माननीय लोकपाल महोदय और माननीय उच्य न्यायालय से आदेश आ चुके हैं, साथ ही साथ कारण पृक्षा में पूछे गए विंदुओं पर विंदुवार एवं संतोषजनक जवाव समर्पित नहीं किया है।

इसके अलावा यह भी ज्ञात हुआ है कि इन्होंने बीसीए के पूर्व कर्मचारी धर्मवीर पटवर्धन के साथ मिलकर माननीय सर्वोच्य न्यायालय में आई ए संख्या : 166031 एवं 166022 वर्ष 2022 दाखिल कराया, जिसमें कि हमारे जिला संघों के कई पूर्व पदाधिकारियों का फर्जी शपथ पत्र लगाया गया था, इस संबंध में जब बीसीए ने उक्त संबन्धित व्यक्तियों से जानकारी ली तो उनलोगों ने मेल के द्वारा बताया कि इनलोगों ने न तो कोई शपथ पत्र हीं निष्पादित किया है, और न हीं तो वो शपथ पत्र में अंकित तिथि को उस इलाके में उपस्थित रहे हैं। इनके इस कृत्य से भी बीसीए के विद्वान अधिवक्ताओं के समक्ष विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी।

उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की इस बैठक में संस्था एवं बिहार क्रिकेट के हित में दुखी मन से निर्णय किया कि सचिव के रूप में श्री अमित कुमार, सचिव के सभी अधिकार सीज किए जाते हैं, तथा औपबंधिक रूप से ये सारे अधिकार संयुक्त सचिव श्रीमती प्रिया कुमारी को दिये जाते हैं।

इस पूरे मामले को माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष अग्रेतर कारवाई के लिए अग्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया।

विदित हो कि कारण पृक्षा नोटिस का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए श्री अमित कुमार ने जिस लैप टॉप का इस्तेमाल किया है, तथा अपना 6 पृष्ठों को स्पष्टीकरण पत्र तैयार किया है, उक्त लैपटॉप का MS Word वर्तमान महाप्रबन्धक नीरज सिंह के नाम से निबंधित है। विदित हो कि यह वही लैपटॉप है, जिसे बी सी एल के बर्खास्त कन्वेनर ओम प्रकाश तिवारी लेकर भागे हुए हैं, और लगातार मेल किए जाने के वावजूद इस लैप टॉप समेत अन्य सामानों को वापस नहीं कर रहे हैं। विदित है कि नीरज सिंह, महा प्रबन्धक, प्रशासन, बी सी एल में COO के रूप में प्रतिनियुक्त थे। उल्लेखनीय है कि बीसीए के कोशाध्यक्ष श्री आशुतोष नन्दन सिंह के द्वारा बी सी एल के बर्खास्त कन्वेनर ओम प्रकाश तिवारी को इस लैपटॉप समेत अन्य सामानों को वापस करने के लिए मेल किया जा चुका है। यह आपराधिक आचरण प्रतीत होता है, अत: इस मामले पर अग्रेतर कारवाई के लिए माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष अग्रेषित किए जाने का निर्णय किया जाता है।

माननीय सभाध्यक्ष के अनुमति से कोशाध्यक्ष ने निम्न प्रस्ताव बैठक के समक्ष :
बीसीए के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोशाध्यक्ष आदि के द्वारा लिए गए एकल व संयुक्त सभी निर्णयों (क्रिकेटिंग, नॉन क्रिकेटिंग, लीगल व अन्य) को विवरण सहित रखा।

निर्णय: बीसीए के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोशाध्यक्ष आदि के द्वारा लिए गए एकल व संयुक्त सभी निर्णयों (क्रिकेटिंग, नॉन क्रिकेटिंग, लीगल व अन्य) को संपुष्ट किया गया।
सचिव के द्वारा किए गए सभी कार्य, प्रस्ताव व पत्राचार को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में सचिव को उनके द्वारा निजी रूप से माननीय सर्वोच्य न्यायालय में दाखिल किए गए आई ए संख्या: 165077 एवं 165081 वर्ष 2022 को अविलंब वापस लेने का निर्देश भी दिया गया ।

एजेंडा संख्या नौ:
माननीय आसन के आदेश से अन्यान्य मामले:

AN-1.

आसन के आदेश से कोशाध्यक्ष श्री आशुतोष नन्दन सिंह ने ने खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के सदर्भ में बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया, और कहा कि खगड़िया जिला क्रिकेट के क्रिकेटरों के हित में निर्णय लिए जाने की जरूरत है, क्योकि खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और परवत्ता के माननीय विधायक डा संजीव कुमार की दबंगई के कारण खगड़िया जिला क्रिकेट का माहौल खराब रहता है। डा. कुमार के द्वारा फोन करके कोशाध्यक्ष को मोबाइल पर रोष सहित दबंगई की भाषा के प्रयोग करने की घटना से भी कोशाध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कोशाध्यक्ष के साथ हुए व्यवहार की निंदा की और डा. संजीव कुमार के ऊपर कड़ी कारवाई की मांग की।

इस विंदु पर विमर्श के दौरान खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के लिए निर्धारित चुनाव की तिथि को किए गए परवत्ता विधायक डा. संजीव कुमार की दबंगई के संदर्भ में चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक के रिपोर्ट को पटल पर लाया गया। विमर्श के दौरान अन्य श्रोतों से प्राप्त शिकायत पर भी विचार किया गया, पाया गया कि परवत्ता विधायक डा. संजीव कुमार संघ विरोधी कार्यों में लिप्त रहे हैं।

खगड़िया जिला में क्रिकेट संचालन के लिए कमेटी के गठन के लिए माननीय अध्यक्ष बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अधिकृत किया गया।

परवत्ता विधायक और पूर्व अध्यक्ष खगड़िया जिला क्रिकेट संघ डा संजीव कुमार के कृत्यो पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि इस मामले में विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने व विधि सम्मत कारवाई के लिए माननीय अध्यक्ष बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अधिकृत किया जाता है।

खगड़िया जिला क्रिकेट संघ से संबन्धित सभी शिकायत व रिपोर्ट को रेकार्ड पर लाया गया।

AN-2.

आसन के आदेश से उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह ने विभिन्न न्यायालयों में वाद के दौरान अधिवक्ताओं की नियुक्ति सहित वरीय अधिवक्ताओं की अतिरिक्त सेवा लेने के बाद दी गई फीस की राशि का मामला बैठक में रखा।

इस विंदु पर विमर्श के दौरान पाया गया कि विभिन्न न्यायालयों में दाखिल वादों (केस) में अधिवक्ताओ के समुचित पैरवी के कारण बीसीए को न्याय मिल सका है। इस लिए अधिवक्ताओं को दी गई फीस की राशि को संपुष्ट किया जाता है।

AN-3:

क्रिकेट संचालन, कार्यालय के सुलभ कार्य सम्पादन के आलोक में किए गए निर्णय, नियुक्तियाँ, पुन नियुक्तियाँ को संपुष्ट किया जाता है तथा आवश्यकता के आधार पर तथा पूर्व में लिए गए निर्णय के आलोक में सी ई ओ को आगामी नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।

AN-4 :

बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा सचिव के द्वारा बीसीए से निष्काषित एवं 20-25 की संख्या में अवांछित तत्वों को बैठक स्थल में जबर्दस्ती प्रवेश कराने, तोड़ फोड़, बैनर फाड़ना और माहौल को भयग्रस्त करने की घटना पर रोष व्यक्त किया गया, और आसन से आग्रह किया गया कि तत्काल सचिव श्री अमित कुमार को गैर जिम्मेदाराना, अनाधिकृत और संघ विरोधी कृत्य के लिए अविलंब उनके सचिव के रूप में प्राप्त सभी अधिकारों से वंचित करते हुए, सचिव के सभी अधिकारों / जिम्मेदारियों को औपबंधिक रूप से संयुक्त सचिव श्रीमती प्रिया कुमारी को दिया जाय, तथा इस निर्णय से तत्काल माननीय लोकपाल सहित बीसीसीआई व सभी संबंधितों को सूचित करने का निर्णय लिया गया।

शेष बचे कोई अजेंडा या मुद्दा नहीं रहने पर बैठक के सभापति/अध्यक्ष ने सभा की समाप्ती की घोषणा की और सभी उपस्थित सदस्यों से विशेष परिस्थिती को देखते हुये इस बैठक मे लिए गए और अंकित किए निर्णयो के सभी पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर बना देने का आग्रह किया जिसे सभी लोगों ने स्वीकार किया।

राकेश कुमार तिवारी
अध्यक्ष
बिहार क्रिकेट एसोशिएशन